प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र0नि0 ब्यूरो, कोटा थाना – प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर
प्र0सू0रि0 संख्या 432/22 दिनांक 4/11/2022
2. (1) अधिनियम– भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारां– 7
(2) अधिनियम.......धाराऐं ....
(3) अधिनियम.......धाराऐं.......
(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं.......
3. (क) घटना का दिन :– बुधवार दिनांक – 02.11.2022
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – दिनांक 01.11.2022 समय 12.15 पी0एम0
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 65 समय 12:15 P.m.
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित या मौखिक)...... **लिखित**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –5 किलोमीटर, बीट संख्या.......
जुरामदेही सं.......
(ख) पता :– सूरजपोल कोटा
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.......जिला ....
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री सूरज पुरसवानी
(ख) पिता/पति का नाम :– श्रीचंद पुरसवानी
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– उम्र 34 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.......जारी करने की तिथि.......जारी करने का स्थान.......
(च) व्यवसाय – ....
(छ) पता :– फ्लेट नम्बर 703, पुखराज ओरा बजरंग नगर कोटा
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
1.श्री शिवराज पंवार पुत्र श्री बाबूलाल पंवार उम्र 46 साल जाति हरिजन निवासी– पुरानी साबरमती कोलोनी, कैथूनीपोल हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, जोन प्रथम, मूल पद सफाई कर्मचारी, नगर निगम कोटा दक्षिण।

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्ठियां(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).......
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः–15,000
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).......

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय

हालात इस प्रकार है दिनांक 01.11.2022 को मन् पुलिस पुलिस निरीक्षक को श्री विजय स्वर्णकार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, कोटा द्वारा उनके कक्ष मे बुलाकर उनके पास उपस्थित परिवादी श्री सूरज पुरसवानी पुत्र स्वर्गीय श्रीचंद पुरसवानी जाति सिन्धी उम्र 34 साल निवासी– फ्लेट नम्बर 703, पुखराज ओरा बजरंग नगर कोटा एवं सहपरिवादी श्री भूवनेश मीणा पुत्र श्री बृजमोहन मीणा जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी– ग्राम दौलतपुरा थाना अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा से मेरा आपसी परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा उन्हे पेश हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी श्री सूरज पुरसवानी मय श्री भुवनेश मीणा के स्वयं के कक्ष मे लेकर आया तथा परिवादी श्री सूरज पुरसवानी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित बताया जो इस आशय का है कि "कि मेरा एक परिसर (बिल्डींग) वाके गुमानपुरा मल्टीपरपज स्कूल के सामने 2 डी न्यू कोलोनी गुमानपुरा में स्थित हैं, जो कि तृतीय तल मैने भुवनेश पुत्र बृजमोहन जी को लीज पर दे रखा हैं, उक्त परिसर पर लीज गृहिता छत पर फेब्रीकेशन का कार्य करवा रहे हैं व टीन शेड लगवा रहे हैं, इस दौरान नगर निगम कोटा दक्षिण के शिवराज पंवार स्वास्थ्य निरीक्षक ने निगम सें एक व्यक्ति को भेजकर काम रूकवा दिया व उस व्यक्ति ने मुझसें कहा कि तुम्हे काम करवाना हैं, तो पहले शिवराज जी सें निगम कार्यालय जो कि गुमानपुरा में स्थित हैं। वंहा मिला तो उन्होने कहा कि तुम मुझ 50,000/– रूपये दे दो तो तुम्हारे काम के लिये चल रहे फेब्रीकेशन व टीन

शेड कार्य के लिय नगर निगम की अनुमति की आवश्यकता नहीं हैं, मैं शिवराज पंवार को मेरे वैध कार्य के लिये 50,000/– रूपये रिश्वत नहीं देना चाहता उसें रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, अतः शिवराज जी सें मेरी कोई जान पहचान नहीं हैं और ना ही पैसे का कोई लेनदेन हैं, अतः कार्यवाही करने की कृपा करें"। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधि में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन की कार्यवाही के क्रम मे श्री बृजराज सिंह, कानि नं. 159 को अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी व सहपरिवादी सें आपसी परिचय करवाया। कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया तथा परिवादी एवं सहपरिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई। तत्पश्चात परिवादी ने बताया कि श्री शिवराज पंवार स्वास्थ्य निरीक्षक अभी हमको उसके गुमानपुरा मे स्थित कार्यालय में मिल जायेगा, जिससे रिश्वत के संबन्ध में बात हो जाएगी। परिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर सुपुर्द किया तथा फर्द सुपुर्दगी पृथक से बनाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की।

तत्पश्चात परिवादी श्री सूरज पुरूसवानी, सहपरिवादी श्री भुवनेश मीणा के साथ श्री बृजराज सिंह कानि0 नं. 159 को आरोपी के कार्यालय गुमानपुरा कोटा भेजा जाकर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के दौरान परिवादी श्री सूरज पुरूसवानी, सहपरिवादी श्री भुवनेश मीणा की आरोपी शिवराज पंवार स्वास्थय निरीक्षक से वार्ता हुई, जिसे डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मे आरोपी द्वारा 50,000/रूपये की मांग व परिवादी द्वारा कम करने की कहने पर 45,000 रूपये लेने के लिए सहमत हुआ। परिवादी द्वारा पेशशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मे रिकार्ड वार्ता को चालु कर सुना तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मालखाना मे रखवाया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के अनुसार आरोपी द्वारा परिवादी को दिनांक 02.11.2022 को रिश्वत की रकम लेकर बुलाने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु परिवादी, सहपरिवादी को रिश्वत में दी जाने वाली रकम 45,000 रूपये सहित समय 11.00 ए.एम. पर कार्यालय में आने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रवाना किया गया।

दिनांक 02.11.2022 समय 11.00 ए.एम.पर श्री जोगेन्द्र सिंह हैड कानि. के मार्फत कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) कोटा से दो कार्मिक श्री विशाल शर्मा, हाल कनिष्ट सहायक एवं महावीर सिंह हाल कनिष्ट सहायक तलविदा उपस्थित आए। परिवादी श्री सूरज पुरूसवानी, सहपरिवादी श्री भुवनेश मीणा के कार्यालय में उपस्थित आए, परिवादी एवं सहपरिवादी ने बताया कि शिवराज पॅवार को दी जाने वाली रिश्वत राशि मे से केवल पन्द्रह हजार रूपयों की ही व्यवस्था हुई है, शिवराज पॅवार को पन्द्रह हजार रूपये की राशि देगे तो वह ले लेगा, बाकी तीस हजार रूपये एक दो दिन मे देने के लिए कहेगे तो वह मान जाएगा। परिवादी श्री सूरज पुरूसवानी, सहपरिवादी श्री भुवनेश मीणा तथा दोनो कार्मिक श्री विशाल शर्मा हाल कनिष्ट सहायक, श्री महावीर सिंह हाल कनिष्ट सहायक का आपसी परिचय करवाया गया, परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनो गवाहान को पढ़कर सुनाया गया तथा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाहने पर दोनो गवाहान ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात् दोनों गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर उस पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद समय 11.50 ए.एम.पर मालखाना से कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर निकलवाया। परिवादी, सहपरिवादी, दोनों गवाहान के समक्ष डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे दिनांक 01.11.2022 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी एवं परिवादी, सहपरिवादी के मध्य रिकार्ड हुई वार्ता को श्री बृजराज सिह कानि. 159 के द्वारा कार्यालय के लेपटॉप में लिवाई जाकर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री बृजराज सिह कानि. 159 नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 02.20 पी.एम.पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी सूरज पुरूसवानी ने अपने पास से निकालकर पांच–पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल पन्द्रह हजार रूपये मन पुलिस निरीक्षक को पेश किये, जिनके नम्बर फर्द में अंकित कर श्री जोगेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 11 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री सूरज पुरूसवानी की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री विशाल शर्मा से लिवाई गई। परिवादी श्री सूरज पुरूसवानी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये पन्द्रह हजार रूपये परिवादी

के पहने हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब मे श्री जोगेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 11 से रखवाये गये। इसके बाद एक काँच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्री जोगेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 11 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी एवं सहपरिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जानेवाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई, दृष्टांत की कार्यवाही मे प्रयुक्त किया गया गिलास कार्यालय मे ही छोडा गया श्री जोगेन्द्र सिंह हैड कानि. नं. 11 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी। ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर इशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया गया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री सूरज पुरूसवानी को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश दी। श्री दिलीप कुमार कानि0 401 चौकी भ्र.नि.ब्यूरों स्पेशल यूनिट कोटा से उपस्थित आया।

इसके बाद समय 03.15 पी.एम.पर कार्यालय मे उपस्थित जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 305, श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304, श्री बृजराज सिंह कानि0 159 तथा श्री दिलीप कुमार कानि0 401 स्पेशल यूनिट भ्र.नि.ब्यूरों कोटा को आरोपी शिवराज पॅवार स्वास्थ्य निरीक्षक नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा परिवादी श्री सूरज पुरूसवानी, सहपरिवादी श्री भुवनेश मीणा से रिश्वत की मांग तथा रिश्वत की मांग के क्रम मे ट्रेप कार्यवाही के तथ्य व की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे मे अवगत कराया। ट्रेप कार्यवाही मे हाथ धुलाई कार्यवाही मे प्रयोग मे ली जाने वाले गिलास, कॉच की शीशीयॉ साबुन पानी से अच्छी तरह से धुलवाये गए तथा जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह से घुलवाये गए। जाप्ता की तलाशी लिवायी जाकर विभागीय परिचय पत्र व मोबाईल के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके बाद समय 03.20 पी.एम. पर परिवादी श्री सूरज पुरूसवानी, सहपरिवादी श्री भुवनेश मीणा ने बताया कि आरोपी शिवराज पॅवार स्वास्थय निरीक्षक मल्टीपरपज स्कूल के पास स्थित कार्यालय मे मिलेगा, इस पर परिवादी व सहपरिवादी को उनकी मोटरसाईकिल से तथा श्री बृजराज कानि0 159 को उसकी मोटरसाईकिल से छावनी चौराहे पर पुलिस के पास मिलने की हिदायत कर रवाना किया। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री महावीर सिंह व श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक के प्राईवेट कार मे तथा अन्य जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह कानि.0 305, श्री दिलीप कुमार कानि0 401, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 एवं स्वतंत्र गवाह श्री विशाल शर्मा एक अन्य प्राईवेट कार से मय लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स एंव आवश्यक उपकरणों के परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर समय 03.40 पी.एम. पर छावनी चौराहे के पास पहुॅचे जहॉ पर परिवादी, सहपरिवादी व श्री बृजराज कानि0 उपस्थित मिले। परिवादी, सहपरिवादी को डिजीटल वाईस रिकार्डर चालू कर आरोपी के कार्यालय मे जाकर आरोपी को रिश्वत राशि देने हेतु हिदायत कर रवाना किया। समय 03.42 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री महावीर सिंह व श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक के प्राईवेट कार मे तथा अन्य जाप्ता श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, श्री दिलीप कुमार कानि0 404, श्री देवेन्द्र सिंह कानि0 304 एवं स्वतंत्र गवाह श्री विशाल शर्मा एक अन्य प्राईवेट कार से मय लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स एंव आवश्यक उपकरणों के परिवादी, सहपरिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर मल्टीपरपज स्कूल मे बनी पार्किंग के पास पहुॅचा, वाहन साईड मे खडे होकर परिवादी के ईशारे के इंतजार मे आरोपी के कार्यालय की गली के आस–पास मुकीम हुए। समय 03.48 पी.एम. पर परिवादी व सहपरिवादी बिना ईशारा किए कार्यालय की गली से बाहर मेन रोड पर आए तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द कर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि शिवराज पॅवार उसके कार्यालय मे नहीं था, जिस पर मैने उनसे मोबाईल पर बात की तो उसने मिटींग मे व्यस्त होने के कारण बाद मे कॉल करने की बात कही। इस पर हम दोनो वापस आ गए। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान, जाप्ता, परिवादी व सहपरिवादी के मल्टीपरपज स्कूल के आस–पास आरोपी के कॉल के इंतजार मे मुकीम रहे।

समय 05.12 पी.एम. आरोपी के मोबाईल नम्बर 946100851 से परिवादी सूरज पुरसवानी के मोबाईल नं. 9799915550 पर कॉल आया, आरोपी ने कहा कि आ जाओ मैं आ गया इस पर परिवादी ने आने के लिए कहा, उपरोक्त वार्ता को मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड की गई। समय 05.17 पी.एम.पर परिवादी एवं सहपरिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाके आरोपी शिवराज पंवार सें मिलने के लिए उसके कार्यालय में रवाना किया। समय 05.30 पी.एम. पर परिवादी व सहपरिवादी बिना इशारा किये आरोपी के कार्यालय सें बाहर आये तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बन्द कर मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि शिवराज पंवार कार्यालय में नहीं हैं मैने उनको फोन किया तो उन्होने कहा कि अभी थोडी देर में मैं कार्यालय में आ रहा हूं तथा थोडी देर बाद शिवराज पंवार का मेरे मोबाईल पर वापस कॉल किया तथा मुझे कोटडी चौराहे के पेट्रोल पम्प पर बुलाया है। समय 05.32 पी.एम. परिवादी एवं सहपरिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर कोटडी पेट्रोल पम्प के लिए उनकी स्वयं की मोटरसाईकिल सें रवाना किया, जिनके साथ श्री बृजराज सिंह कानि. एंव श्री दिलीप गौड को अन्य मोटरसाईकिल सें रवाना किया तथा पीछे–पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान प्राईवेट वाहनों सें रवाना हुआ। परिवादी एवं सहपरिवादी की मोटर साईकिल के पीछे–पीछे चलता हुआ कोटडी पेट्रोल पम्प पर पहुंचा परिवादी व सहपरिवादी अपनी मोटरसाईकिल सें एरोड्राम सर्किल की तरफ जाते हुये नजर आये जिनके पीछ–पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के रवाना हुआ। परिवादी एवं सहपरिवादी अपनी मोटरसाईकिल सें एरोड्रम सर्किल के पास स्थित पेट्रोल पम्प पर पहुंचे व मोटरसाईकिल खडी कर रूके जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी के आसपास परिवादी के इशारे के इन्तजार में उपस्थिती छिपाते हुये मुकिम हुये। समय 05.50 पी.एम. पर परिवादी व सहपरिवादी पेट्रोल पम्प पर एक व्यक्ति सें वार्ता करने के पश्चात बिना इशारा किये मोटर साईकिल सें रवाना हुये जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान प्राईवेट वाहनों सें परिवादी के पीछे– पीछे रवाना हुआ। परिवादी व सहपरिवादी अपनी मोटसाईकिल सें चलते हुये मल्टीपरपज स्कूल के परिसर में जाकर रूके। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान प्राईवेट वाहनों सें परिवादी के पास पहुंचा परिवादी सें वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि एरोड्राम के पास स्थित पेट्रोल पम्प पर हमको शिवराज पंवार मिल गया था उससें हमारी पैसों के लेनदेन के संबंध में बात हो गई उसने कहा कि ये तो आधे भी नहीं हुये तो हमने उससें परसों तक पैसे देने की रिक्वेस्ट की तो वो सहमत हो गया हैं जब पैसे देने के लिए निकालने लगे तो उसने कहा कि यंहा सबके सामने ठीक नहीं हैं ड्यूटी पर हूं अभी मै वंहा पर आता हूं, हमारे मध्य हुई सारी वार्ता इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई है। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट पृथक सें बनाई जायेगी। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के आरोपी के कॉल के इन्तजार में मुकिम रहा। समय 06.25 पी.एम. पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मेरे मोबाईल पर शिवराज पंवार को कॉल आया तथा उसने मुझे अकेले ही गुमानपुरा बन्द पडे पेट्रोल पम्प के पास बुलाया हैं। इस पर परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर परिवादी को गुमानपुरा स्थित बन्द पडे पेट्रोल पम्प के लिए रवाना किया तथा परिवादी के पीछे–पीछे श्री बृजराज सिंह कानि. एंव श्री दिलीप गौड को अन्य मोटरसाईकिल सें तथा सहपरिवादी को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल सें रवाना किया तथा पीछे–पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान प्राईवेट वाहनों सें रवाना हुआ। समय 06.30 पी.एम. पर परिवादी गुमानपुरा स्थित बन्द पडे पेट्रोल पम्प के पास आकर रूका तथा श्री बृजराज सिंह कानि. एंव श्री दिलीप गौड, सहपरिवादी, मन पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान के प्राईवेट वाहनों को रोड के साईड में खडाकर कर वाहनो सें बाहर उपस्थिती छुपाते हुये खडे हुये। परिवादी मोबाईल पर वार्ता करता हुआ वार्ता करता हुआ मोटरसाईकिल सें रवाना हुआ। जिसके पीछे–पीछे मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के पैदल–पैदल रवाना हुआ। परिवादी बीच–बीच में रूकता हुआ सुरजपोल गेट के पास जाकर आंखों सें ओझल हो गया, इस पर परिवादी के मोबाईल पर कॉल लगाया तो परिवादी ने काफी देर तक कॉल रिसिव नहीं किया। इसके पश्चात समय 06.38 पी.एम. पर बृजराज सिंह के मोबाईल सें परिवादी सें वार्ता हुई, परिवादी ने बताया कि शिवराज मुझे सूरजपोल गेट सें साईड में अन्धेरी गली में ले गया तथा वंहा पर पैसे मुझसें उसकी मोटरसाईकिल के बेग में रखवाकर इधर अन्धेरी गली में आगे चला गया। इस पर परिवादी को सुरजपोल गेट पर उपस्थित होने के निर्देश दिये। समय 06.42 पी. एम. पर गवाहान के समक्ष परिवादी सूरज पुरसवानी ने सूरजपोल दरवाजे के पास फूल वाले की दुकान के सामने अपनी मोटरसाईकिल से आकर रूका, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक एवं अन्य जाब्ते व गवाहान के पैदल चलते हुये परिवादी के पास पहुँचा, परिवादी से डिजीटल वाईस

रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि मै शिवराज पंवार के बताये अनुसार गुमानपुरा पेट्राल पम्प के पास जाकर खडा हो गया, जहॉ शिवराज पवॉर का मेरे मोबाईल पर कॉल आया, उसने मुझे भण्डारी की दुकान की तरफ बुलाया, फिर उसके बाद मुझे ऑवरब्रिज के पास आने के लिए कहा, जिस पर मै मोटरसाईकिल से ओवरब्रिज के आगे सूरजपोल गेट के पास फूलों की दुकान के पास पहुॅचा, जहॉ शिवराज पॅवार मोटरसाईकिल पर बैठा हुआ मिला, उसने मुझ सें उसकी मोटर साईकिल के पीछे–पीछे आने का इशारा किया तथा फिर सुरजपोल गेट के पास वाली सुनसान गली मे आगे ले जाकर मुझ सें रिश्वत की राशि 15000 रूपये उसकी मोटर साईकिल में लगे हुये बेग में रखने के लिए कहा, जिस पर मैने 15000/रूपये उसकी मोटरसाईकिल के बेग मे रख दिए, उसने कहा कि बाकी के भी जल्दी ही कर देना तथा तुरंत मोटरसाईकिल लेकर सुरजपोल गेट के पास सुनसान अन्धेरे वाले रास्ते में चला गया। शिवराज पॅवार मुझे छोटी सुनसान गली मे ले गया था, जहॉ मुझे आप लोग दिखाई नहीं दिए थे, मै डर गया था इसलिए शिवराज के कहने पर तुरंत ही रूपये उसकी मोटरसाईकिल के बेग मे रख दिए थे, इसलिए मै आपकों सूचना व ईशारा नहीं कर पाया था, इसी दौरान बृजराज जी का कॉल आ गया था, जिन्हे मैने शिवराज पॅवार द्वारा रिश्वत राशि लेकर जाने की बात बता दी थी, मै दूसरे रास्ते पर निकल गया था, जिस कारण मुझे यहॉ पहुॅचने भी टाईम लग गया था। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाह, ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 35, श्री देवेन्द्र सिह कानि.304, श्री बृजराज सिंह, कानि. 159, श्री दिलीप गौड कानि. नं. 401 एंव श्री दिलीप सिह, वरिष्ठ सहायक, परिवादी एवं सहपरिवादी को साथ लेकर आरोपी को आस–पास की गलियों व बाजार मे तलाश किया तो आरोपी नहीं मिला। इस पर आरोपी के निवास स्थान का जानकारी की तो साबरमती कॉलोनी कैथूनीपोल मे रहना पता चला। श्री देवेन्द्र सिंह कानि., दिलीप कुमार कानि. व दोनो स्वतंत्र गवाहान प्राईवेट वाहन मे मोखापाडा कोट के पास मुकीम रहे, मन पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, सहपरिवादी, हमराह जाप्ता श्री नरेन्द्र कानि0, श्री बृजराज कानि0 व श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक के मोटरसाईकिलों से तंग गलियों मे होते हुए साबरमती कॉलोनी मे पहुॅचा, आरोपी का मकान तलाश कर मकान का दरवाजा खटखटाया तो एक व्यक्ति सफेद टी शर्ट व काले रंग का पायजामा पहने हुये बाहर आया, जिसकी तरफ परिवादी ने इशारा कर बताया कि ये ही शिवराज पंवार हैं, जिसने मुझ सें इनकी मोटरसाईकिल में रिश्वत की राशि 15000 रूपये रखवाये तथा रूपये लेकर मोटरसाईकिल से तुरंत वहॉ से चले गए थे। इस पर उक्त व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराही जाब्ता का परिचय देते हुये आने के मन्तव्य सें अवगत कराया एंव उससें उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री शिवराज पंवार पुत्र श्री बाबूलाल पंवार उम्र 46 साल जाति हरिजन निवासी– पुरानी साबरमती कोलोनी, कैथूनीपोल हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, जोन प्रथम, नगर निगम कोटा दक्षिण बताया। आरोपी श्री शिवराज पंवार सें परिवादी सें लिये 15,000 रूपयों बाबत पूछा तो उसने बताया कि ये अभी थोडी देर पहले मुझे सूरजपोल गेट के पास मिला था तथा इसने जबरदस्ती मेरे बेग में पैसे डाल दिये, जो पोर्च मे खडी मेरी मोटरसाईकिल के बेग में ही रखे हैं, मेने रूपयों के हाथ भी नहीं लगाया है। पोर्च मे खडी मोटरसाईकिल नम्बर RJ 20- 9 M 5892 के साईलेंसर साईड पर लगे हुए काले रंग के रेगजीन के बेग को मन पुलिस निरीक्षक ने देखा तो उसमे 500–500 के नोट रखे हुए दिखाई दिए। इस पर आरोपी को यथास्थिति बनाए रखने की हिदायत दी। आरोपी का आवास घनी आबादी क्षैत्र में होने तथा आरोपी स्थानीय निवासी होने सें अचानक भीडभाड इकट्टी होने से कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न करने की संभावना के मध्य नजर मौके पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव नहीं होने सें आरोपी की मोटर साईकिल कानि. नरेन्द्र सिंह को सुपुर्द कर सूरजपोल चौकी पर पहुंचने के लिए रवाना किया तथा डिटेनशुदा आरोपी श्री शिवराज पवांर, परिवादी, सहपरिवादी, हमराह जाप्ता श्री बृजराज कानि0 व श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक मोटरसाईकिलों से आरोपी के घर से सूरजपोल पुलिस चौकी के लिए रवाना हुए तथा पास ही मुकीम श्री देवेन्द्र सिंह कानि., दिलीप कुमार कानि. व दोनो स्वतंत्र गवाहान को प्राईवेट वाहन से तुरंत सूरजपोल चौकी पर पहुॅचने के निर्देश दिए। मन पुलिस निरीक्षक डिटेनशुदा आरोपी श्री शिवराज पवांर, परिवादी, सहपरिवादी, हमराह जाप्ता श्री बृजराज कानि0 व श्री दिलीप सिंह वरिष्ठ सहायक मोटरसाईकिलों से सूरजपोल चौकी पहुॅचे, जहॉ श्री नरेन्द्र सिंह कानि. मय आरोपी की मोटरसाईकिल व स्वतंत्र गवाहान व अन्य जाप्ता उपस्थित मिले। चौकी प्रभारी देवकी नन्दन स.उ.नि. सें मौखिक अनुमति प्राप्त कर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की। परिवादी, सहपरिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि के बारे मे पुछा तो आरोपी ने बताया कि अभी थोडी देर पहले सूरज पुरसवानीमुझे सूरजपोल गेट

के पास मिला था तथा इसने जबरदस्ती मेरे बेग में पैसे डाल दिये, मै मेरे घर चला गया था तथा मोटरसाईकिल पोर्च मे खडी कर दी थी, इसके द्वारा मोटरसाईकिल के बेग में रखे रूपयों के मैने हाथ भी नहीं लगाया था, मैने इनसे कोई रिश्वत की मांग भी नही की थी। इस पर परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि कहा कि ये झूंठ बोल रहे हैं मेरी बिल्डिंग गुमानपुरा मल्टीपरपज स्कूल के सामने 2 डी न्यू कोलोनी गुमानपुरा में स्थित हैं, जिसके तृतीय तल को मैने इन भुवनेश जी को लीज पर दे रखा हैं, उक्त परिसर पर ये छत पर फेब्रीकेशन का कार्य करवा रहे हैं व टीन शेड लगवा रहे हैं, कार्य करवाते समय इन्होने निगम सें एक व्यक्ति को भेजकर काम रूकवा दिया व उस व्यक्ति ने मुझसें कहा कि पहले शिवराज जी सें मिलो, उसके बाद काम चालु करवाना। इस पर मैं इनसें मिला तो इन्होने मुझसें 50,000/– रूपये की डिमाण्ड की इसके बाद दिवाली आ गई, उस दौरान भी इन्होने मुझे कई बार कॉल किये। इसके बाद मैंने एसीबी में शिकायत की तथा कल दिनांक 01.11.2022 को मैं पुनः भुवनेश जी के साथ जाकर इनसें मिला तो इन्होने मुझसें 50,000 रूपये देने के लिए कहा तथा मेरे द्वारा निवेदन करने पर 45,000 रूपये लेने पर सहमत हुय थे तथा रकम आज देने के लिए कहा था मुझ सें अभी पूरे पैसे की व्यवस्था नहीं हुई तथा इनका मेरे पास फोन आ रहा था इसलिए मैने 15,000 रूपये लाकर आपको दिये थे तथा कहा था कि मैं उनसें ये 15,000 रूपये देकर एक दो दिन में बाकी के पैसों की व्यवस्था की कह दूंगा, इसके बाद यंहा आये तो पहले तो इन्होने कार्यालय में मिलने के कहा जब इनके कार्यालय में गया तो वहां नहीं मिलने पर मैने फोन किया तो इन्होने कहा की अभी तो मैं मिटींग में आ गया बाद में बताता हूं इसके करीबन 2 घण्टे बाद इनका फोन आया तथा इन्होने कहा कि मैं कार्यालय में आ रहा हूं, जब मैं इनके कार्यालय में गया तथा ये वहां नहीं मिले तो मैने इनको फोन किया, तो इन्होने कहा की मार्डन पेट्रोल पम्प पर आ जाओ मैं यंही हूं जब मैं व भुवनेश वंहा गए, तो इन्होने कहा कि यंहा सबके सामने थोडी ही लूंगा अभी तुम जाओ में फोन कर दूंगा। इसके बाद फोन का इंतजार किया जो काफी देर बाद इनका फोन आया तथा इन्होने मुझे गुमानपुरा स्थित बन्द पडे पेट्रोल पम्प के सामने मिलने के लिए कहा, जिस पर मैं यंहा आया तथा इनको फोन किया तो इन्होने मुझे इनके पीछे–पीछे आने के लिए कहा तथा जब मैं इनके पीछ–पीछे गया तथा इन्होने मुझे सूरजपोल गेट के पास गली मे अन्धेरे में ले जाकर मुझसें पैसे इनकी मोटरसाईकिल के बेग में रखने के लिए कहा तथा बाकी के बचे हुये पैसों की जल्दी व्यवस्था करने की कहकर तुंरत चले गये। इस पर आरोपी की मोटरसाईकिल नम्बर RJ 20- 9 M 5892 के साईलेंसर साईड पर लगे हुए काले रंग के रेगजीन के बेग काको स्वतंत्र गवाह श्री विशाल शर्मा से चेक करवाया तो, उसमें पांच–पांच सौ रूपये के नोट रखे हुये मिले, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री विशाल शर्मा द्वारा गिनवाया गया तो वो पांच–पांच सौ रूपये के 30 नोट कुल 15,000 रूपये है। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान दोनो गवाहान से फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, बरामद नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं–

क0स0	नोटों का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 KL 973773
2.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 VL 170642
3.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	7 PG 980980
4.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 CS 757340
5.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 ET 262106
6.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 HQ 541019
7.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 FF 971659
8.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 KS 203104
9.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 WE 572752
10.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का (कोना फटा हुआ)	4 EE 125815
11.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 AC 230261
12.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 BK 507644
13.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 CS 757322
14.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	6 UF 523204
15.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 CB 898848
16.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 WC 574515

17.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 BG 864725
18.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 CS 757318
19.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 FG 919378
20.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 VD 402218
21.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 CS 757309
22.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 DT 077859
23.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	4 AF 227431
24.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	5 EC 472764
25.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 GD 569453
26.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 AL 620872
27.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	3 PE 417327
28.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	1 CS 757301
29.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	9 AV 176896
30.	एक भारतीय मुद्रा का नोट पांच सौ रूपये का	8 DT 359587

रिश्वत राशि के बरामद नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री विशाल शर्मा सें प्राप्त कर बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये। इसके पश्चात रिश्वती राशि बरामदगी स्थल का धोवन लेने हेतु एक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया, मोटर साईकिल सें बेग को खोलकर उसको उल्टवाकर नोट मिलने के स्थान को एक कपडे की चिन्दी सें रगडकर गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क MB-1, MB-2 दिया जाकर संबन्धितों के हस्तक्षर करवाकर कब्जे एसीबी लिया गया तथा बेग को एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क MB तथा धोवन में काम में ली गई चिन्दी को सुखाकर कपडे की थैली में रखकर सीलचीट कर मार्क C अंकित कर पैकिटों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर पैकीटों को कब्जे एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी शिवराज पंवार ने रिश्वत प्राप्त करने मे प्रयुक्त वाहन मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ 20-9 M 5892 हीरो होण्डा स्प्लेण्डर प्रो को प्रयुक्त किया हैं, अतः उक्त मोटरसाईकिल को बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिया गया। चुंकि आरोपी द्वारा परिवादी सें रिश्वत राशि मोटरसाईकिल के बेग में रखवाने के पश्चात काफी समय तक रिश्वत राशि आरोपी के कब्जे में रहने सें आरोपी द्वारा नोटों को गिनने या हाथ लगाने की संभावना के मध्य नजर आरोपी शिवराज पंवार की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सूरजपोल चौकी पर स्थित स्टाफ सें साफ पानी मंगवाया जाकर दो कांच के गिलासों में पानी डाला गया गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी शिवराज पंवार के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का मटमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का मटमैला आया, जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी शिवराज पंवार की तलाशी नियमानुसार स्वतंत्र गवाह श्री महावीर सिंह सें लिवाई गई तो उसकी पहनी हुई पेंट की जेब में एक मोबाईल वीवो कम्पनी का मॉडल Vivo Y95, जिसमें एक Airtel, Sim No-9461008351 व दूसरी Airtel सिम नम्बर 9982452222 लगी हुई है, उक्त मोबाईल सें आरोपी की परिवादी सें रिश्वत राशि लेने व मिलने के संबन्ध में कई बार वार्तायें हुई हैं, अतः मोबाईल को मय सीम बतौर वजह सबूत जब्त कर लिफाफे में सुरक्षित रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी से परिवादी का कार्य रूकवाने के संबंध मे पुछा तो बताया कि बिना निर्माण स्वीकृति के कार्य करवा रहा था, इसलिए मैने जमादार गोपाल पचेरवाल को काम रूकवाने के लिए भेजा था, मैने इनको कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया था, मेरे पास इनका कोई काम पेण्डिग भी नहीं था। उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी सूरज पुरसवानीपुत्र स्वर्गीय श्रीचंद पुरसवानीजाति सिन्धी उम्र 34 साल निवासी– फ्लेट नम्बर 703, पुखराज ओरा, बजरंग नगर कोटा की बिल्डिंग 2डी, न्यू कोलोनी गुमानपुरा के तृतीय तल पर लीज होल्डर भुवनेश द्वारा छत पर फेब्रीकेशन का कार्य करवाने व टीन शेड लगवाने के दौरान निगम कर्मचारी भेजकर कार्य बन्द करवाने तथा काम चालु करवाने की एवज में 50,000/– रूपये की मांग करने, दौराने सत्यापन 50,000 रूपये की मांगकर 45,000 रूपये लेने पर सहमत होने तथा वक्त रिश्वत लेन देन परिवादी सें 15,000 रूपये अपनी मोटरसाईकिल के बेग में

रखवाने तथा रिश्वत राशि आरोपी की मोटरसाईकिल के बेग सें बरामद होने तथा बेग के धोवन का रंग गुलाबी आने तथा आरोपी के हाथों का धोवन मटमैला आने से आरोपी श्री शिवराज पंवार पुत्र श्री बाबूलाल पंवार उम्र 46 साल जाति हरिजन निवासी– पुरानी साबरमती कोलोनी, कैथूनीपोल हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, जोन प्रथम, नगर निगम कोटा दक्षिण का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। फर्द बरामदगी नियमानुसार मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 09.40 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी, सहपरिवादी, स्वतंत्र गवाहान श्री महावीर सिंह, श्री विशाल शर्मा मय एसीबी जाप्ता मय डिटेनशुदा आरोपी शिवराज पंवार मय रिश्वती राशि 15,000/रूपये, धोवन की सील्डशुदा कुल 6 शीशीयॉ मार्क MB-1, MB-2, RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 सील्डशुदा बेग का पेकिट मार्क MB, धोवन में काम में ली गई चिन्दी का सील्डशुदा पेकिट मार्क C, जप्तशुदा मोबाईल वीवो कम्पनी का, जप्तशुदा मोटरसाईकिल रजि0न0 RJ 20- 9 M 5892 मय लेपटॉप, प्रिंटर, ट्रेप बॉक्स एंव आवश्यक उपकरणों के प्राईवेट वाहनो, मोटरसाईकिलों से एसीबी चौकी कोटा के लिए रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा पहुॅचा तथा अग्रिम कार्यवाही मे मशरूफ हुआ। समय 10.00 पी.एम. पर दिनांक 02.11.2022 को रिश्वत लेन–देन के संबंध मे मिलने के लिए बुलाने के लिए आरोपी के मोबाईल नम्बर 946100851 से परिवादी सूरज पुरसवानी के मोबाईल नं. 9799915550 पर हुई वार्ता जिसे स्पीकर ऑन कर डिलीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया था। उक्त रिकार्ड हुई वार्ता को श्री बृजराज सिह कानि. 159 के द्वारा डिलीटल वाईस रिकार्डर से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाई जाकर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री बृजराज सिह कानि. 159 नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.15 पी.एम. पर दिनांक 02.11.2022 को रिश्वत लेन–देन प्रयास के दौरान आरोपी एवं परिवादी, सहपरिवादी के मध्य हुई वार्ता जिसे डिलीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया था, उक्त रिकार्ड हुई वार्ता को श्री बृजराज सिह कानि. 159 के द्वारा डिलीटल वाईस रिकार्डर से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाई जाकर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री बृजराज सिह कानि. 159 नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.00 पी.एम. पर दिनांक 02.11.2022 को रिश्वत लेन–देन के दौरान आरोपी एवं परिवादी के मध्य हुई वार्ता जिसे डिलीटल वाईस रिकार्डर मे रिकार्ड किया गया था, उक्त रिकार्ड हुई वार्ता को श्री बृजराज सिह कानि. 159 के द्वारा डिलीटल वाईस रिकार्डर से कार्यालय के लेपटॉप में लिवाई जाकर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी, सहपरिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया। वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री बृजराज सिह कानि. 159 नियमानुसार तैयार करवाई जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.40 पी.एम. पर परिवादी श्री सूरज पुरसवानीव सहपरिवादी श्री भुवनेश मीणा तथा आरोपी शिवराज पंवार स्वास्थय निरीक्षक के मध्य दिनांक 01.11.2022 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 02.11.2022 को हुई रिश्वत लेन–देन प्रयास वार्ता, अन्य मोबाईल वार्ता तथा रिश्वत लेन–देन वार्ता के समय सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मैमारी कार्ड मे रिकार्ड की गई वार्ताओं मे आवाज का मिलान विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से करवाये जाने के लिए आवाज का नमूना दिए जाने हेतु आरोपी शिवराज पंवार स्वास्थय निरीक्षक को नोटिस नमूना आवाज दिया, आरोपी ने मूल नोटिस पढने के बाद उस पर "मै स्वेच्छा से मेरी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता।" नोट अंकित कर हस्ताक्षर कर मूल नोटिस वापस लौटाया। मूल नोटिस नमूना आवाज आरोपी द्वारा उक्त अंकन सहित शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री शिवराज पंवार पुत्र श्री बाबूलाल पंवार उम्र 46 साल जाति हरिजन निवासी– पुरानी साबरमती कोलोनी, कैथूनीपोल हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, जोन प्रथम, नगर निगम कोटा दक्षिण का कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से नियमानुसार गिरफ्तार कर हिरासत मे लिया गया। फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया।

दिनांक 03.11.2022 समय 12.30 ए.एम. पर दिनांक 01.11.2022 को परिवादी श्री सूरज पुरसवानी, सहपरिवादी श्री भुवनेश मीणा एंव आरोपी श्री शिवराज पंवार, स्वास्थ्य निरीक्षक के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk Ultra-32 GB में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 221101_1446 जो 32,504 KB की तथा कुल समय 23 मिनट 06 सैकिण्ड की हैं तथा दिनांक 02.11.2022 को हुई रिश्वत राशि लेन–देन के लिए मिलने के संबन्ध में मोबाईल पर हुई वार्ता जिसकी एक फाईल 221102_1712, जो 323 KB की तथा कुल समय 13 सैकिण्ड की, दिनांक 02.11.2022 को रिश्वत लेनदेन के प्रयास के समय हुई वार्ता की एक फाईल 221102_1732 जो 29,054 KB की तथा कुल समय 20 मिनट 39 सैकिण्ड की हैं तथा दिनांक 02.11.2022 को वक्त रिश्वत राशि लेन–देन हुई

वार्ता की फाईल 221102_1828, जो 21,378 KB की हैं तथा कुल समय 15 मिनट 12 सैकिण्ड की हैं। उक्त वार्ताओं को श्री बृजराज सिह कानि0 159 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड सें कॉपी कर लेपटोप मे लिवाया जाकर उक्त वार्ताओ के चार पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज के लिये व एक पेन ड्राईव आरोपी के लिये पृथक–पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk Ultra - 32 GB को मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर, मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थैली में रखाकर सील्ड मोहर कर सभी सील्ड मोहर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया। फर्द डबिंग नियमानुसार मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.50 ए.एम.पर श्री दिलीप कुमार कानि0, श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 मय आरोपी श्री शिवराज पंवार पुत्र श्री बाबूलाल पंवार उम्र 46 साल जाति हरिजन निवासी– पुरानी साबरमती कोलोनी, कैथूनीपोल हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, जोन प्रथम, नगर निगम कोटा दक्षिण का स्वास्थय परीक्षण करवाकर प्राईवेट वाहन से वापस आये। समय 12.55 ए.एम.पर परिवादी, सहपरिवादी एंव स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय प्रातः 11.ए.एम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु हिदायत कर रवाना किया गया। समय 01.00 ए.एम प्रकरण में जप्तशुदा रिश्वती राशि 15000/रूपये, धोवन को सील्डशुदा कुल 6 शीशीयॉ मार्क MB-1, MB-2, RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, सील्डशुदा बेग का पेकिट मार्क MB, धोवन में काम में ली गई, चिन्दी का सील्डशुदा पेकिट मार्क C, जप्तशुदा मोबाईल वीवो कम्पनी का, तथा कपडे की थैली में पृथक–पृथक सील्डशुदा 3 पेन ड्राईव व एक अनशील्ड पेन ड्राईव, सील्डशुदा पैकीट मेमोरी कार्ड का मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 304 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाया गया तथा जप्तशुदा मोटरसाईकिल रजि0न0 RJ 20- 9M 5892 को चौकी परिसर में सुरक्षित खडी करवाई गई। आरोपी श्री शिवराज पंवार को थाना नयापुरा की हवालात में दाखिल करवाया गया। परिवादी की निशादेही से दोनो स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे रिश्वत राशि लेनदेन स्थल तथा रिश्वत राशि बरामदगी स्थल का नजरी निरीक्षण कर पृथक–पृथक फर्द नक्शा मौका नियमानुसार मुर्तिब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

उपरोक्त सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि आरोपी द्वारा परिवादी सूरज पुरसवानी पुत्र स्वर्गीय श्रीचंद पुरसवानी जाति सिन्धी उम्र 34 साल निवासी– फ्लेट नम्बर 703, पुखराज ओरा, बजरंग नगर कोटा की बिल्डिंग 2डी, न्यू कोलोनी गुमानपुरा के तृतीय तल पर लीज होल्डर भुवनेश द्वारा छत पर फेब्रीकेशन का कार्य करवाने व टीन शेड लगवाने के दौरान निगम कर्मचारी भेजकर कार्य बन्द करवाने तथा काम चालु करवाने की एवज में 50,000/– रूपये की मांग करने, दौराने सत्यापन 50,000 रूपये की मांगकर 45,000 रूपये लेने पर सहमत होने तथा वक्त रिश्वत लेन देन परिवादी सें 15,000 रूपये अपनी मोटरसाईकिल के बेग में रखवाने तथा रिश्वत राशि आरोपी की मोटरसाईकिल के बेग सें बरामद होने तथा बेग के धोवन का रंग गुलाबी आने तथा आरोपी के हाथों का धोवन मटमैला आने से आरोपी श्री शिवराज पंवार पुत्र श्री बाबूलाल पंवार उम्र 46 साल जाति हरिजन निवासी– पुरानी साबरमती कोलोनी, कैथूनीपोल हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, जोन प्रथम, नगर निगम कोटा दक्षिण का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है। आरोपी शिवराज पंवार, स्वास्थ्य निरीक्षक, नगर निगम जोन प्रथम कोटा दक्षिण को जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया है।

अतः आरोपी श्री शिवराज पंवार पुत्र श्री बाबूलाल पंवार उम्र 46 साल जाति हरिजन निवासी– पुरानी साबरमती कोलोनी, कैथूनीपोल हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, जोन प्रथम, मूल पद सफाई कर्मचारी, नगर निगम कोटा दक्षिण के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 मे बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्र0नि0 ब्यूरों राजस्थान जयपुर की सेवामे सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अजीत बगडोलिया)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अजीत बगडोलिया, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शिवराज पंवार पुत्र श्री बाबूलाल पंवार, हाल कार्यवाहक स्वास्थ्य निरीक्षक, जोन प्रथम, मूल पद सफाई कर्मचारी, नगर निगम, कोटा दक्षिण के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 432/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3747-51 दिनांक 4.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर
3. आयुक्त, नगर निगम कोटा दक्षिण, कोटा।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।